‘बच्चों’ से लेकर ‘बड़े’ तक हो रहे ‘साइबर-बुलिंग’ के शिकार

इंटरनेट और आप

तकनीक की बढ़ती प्रगति ने हमारे सामाजिक ढांचे को बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर-बुलिंग, साइबर अपराध, साइबर खतरों और डिजिटल उत्पीड़न जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। इंटरनेट को एक सुरक्षित माध्यम माना गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल पर कानूनी नियंत्रण न होने से व्यक्ति, नागरिक, संस्थान, ब्रांड और यहां तक कि देशों को भी नुकसान हो सकता है।

बढ़ते मामलों की चिंता

हाल के वर्षों में साइबर-बुलिंग के मामलों में तेजी ने कानूनी विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है। इस साल की शुरुआत में, 16 वर्षीय एक मेकअप कलाकार ने नफरत भरे कमेंट्स के कारण आत्महत्या कर ली। इन टिप्पणियों में उसके लिंग का मजाक उड़ाया और अपमान किया गया। इसके एक महीने बाद, केरल में एक युवती ने आत्महत्या के प्रयास के बाद उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उसे सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा। एन.सी.ई.आर.टी. (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) के अनुसार, भारत में 35 प्रतिशत छात्र साइबर-बुलिंग का सामना कर चुके हैं।

चिंताजनक शुरुआत और मकड़जाल

साइबर उत्पीड़न किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डराने-धमकाने का एक निरंतर और जानबूझकर किया गया कार्य है। यह आमतौर पर किसी की पहचान, सुरक्षा या गरिमा पर हमला करता है। इसमें पीछा करना, ब्लैकमेल करना, बदला लेने के लिए अश्लील सामग्री फैलाना या मौत की धमकियां देना शामिल हो सकता है।

भारत में लगभग 76 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ साइबर-बुलिंग के मामलों में वृद्धि हुई है। 2020 में इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार, हर 4 में से 1 बच्चा इसका शिकार होता है, जिसमें लड़कियां और LGBTQ+ समुदाय के सदस्य ज्यादा प्रभावित होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021 में साइबर अपराध के 50,000 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक थे।

कानूनी ढांचा

भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई कानून हैं, जैसे कि 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आई.टी. एक्ट की धारा 66ए को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानकर हटा दिया। हालांकि, पहचान की चोरी (66सी) और अश्लील सामग्री के प्रसारण (67) जैसी धाराएं लागू की जा सकती हैं। अन्य प्रावधानों में बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो), मानहानि (धारा 499), और आपराधिक धमकी (धारा 503) शामिल हैं।

लेकिन इन कानूनों के बावजूद, साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता और अंतरराष्ट्रीय सीमा की वजह से पीड़ितों को न्याय पाने में मुश्किलें होती हैं। कई बार अपराधी विदेशों से काम करते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना और सजा दिलाना कठिन हो जाता है।

महत्वपूर्ण सवाल

कानूनी विशेषज्ञों और समाज को तीन महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करना चाहिए :

–कानूनी जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए ?

–मामलों को तेजी से निपटाने के क्या उपाय हो सकते हैं ?

–पीड़ितों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए ?

स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को साइबर खतरों के प्रति सचेत किया जा सकता है। एन.जी.ओ., कानूनी और सामाजिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यक्तियों और कार्यस्थलों को कानूनी उपायों की जानकारी दी जा सकती है। साइबर अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाना होगा।

नए डिजिटल ढांचे, सॉफ्टवेयर और डाटा एल्गोरिदम टूल्स का इस्तेमाल करके मामलों को जल्दी हल किया जा सकता है। प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ विशेष साइबर क्राइम यूनिट्स बनाने से भी शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

इंटरनेट लाखों भारतीयों के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन साइबर-बुलिंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा हो सकता है। पीड़ित अक्सर अवसाद, चिंता, सामाजिक अलगाव और गंभीर मामलों में आत्मघाती विचारों का अनुभव करते हैं। इंटरनेट की गुमनामी से अपराधियों को बिना किसी डर के अपने उत्पीड़न को जारी रखने में मदद मिलती है, जिससे पीड़ित खुद को असहाय और अलग-थलग महसूस करते हैं। इसलिए, कानूनी, सामाजिक और तकनीकी उपायों से इस समस्या का समाधान जरूरी है। –अक्षत चौहान